न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 14/2018
दायरा तिथि : 02.07.2018
आदेश तिथि : 30-7-2019.

प्रार्थी :–
वनाराम गोद पुत्र लखीयाजी जाति
सिरवी (जणवा) निवासी बेडल तह0 बाली

ब नाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये
भूमिधारी तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत राजकीय भूमि मे से रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 30-7-2019

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 654 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म गे.मु. बेरा मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा बेडल के ख.न. 650 रकबा 0.19 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मे से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संवंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संवंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/03/pt/7 Jaipur Dated : 02-03-2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने मय भू.अ. निरीक्षक, खुडाला ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2019/364 दिनांक 20.02.2019 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली ने अपनी जांच रिपोर्ट में आवेदक खातेदार श्री वनाराम गोद पुत्र लखीया जाति सिरवी (जणवा) निवासी बेडल तहसील बाली के नाम से ग्राम बेडल के खसरा नंबर 654 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म गे.मु. बेरा एवं खसरा नंबर 655 रकबा 5.00 हैक्टर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम भूमि खातेदारी की दर्ज होना, तथा उक्त खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिए पहुंच मार्ग का रास्ता नही होना बताया। आवेदक की खातेदारी में भूमि आवागमन का कोई विकल्प नहीं होने से ग्राम बेडल स्थित भूमि खसरा नंबर 650 रकबा 0.19 हैक्टर मेंसे 40x4=160 वर्गमीटर भूमि का रास्ता प्रस्तावित किया गया। अपनी रिपोर्ट में उक्त रास्ता दिया जाने पर पर आगे राजकीय सिवायचक रास्ता खसरा नंबर 653 से प्रस्तावित रास्ता जुडना तथा पश्चात् प्रार्थी के खातेदारी के बेरा खसरा नंबर 654 तक पहुँच हो जाने से प्रार्थी को रास्ता दिये जाने की अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि तहसीलदार, बाली द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में खसरा नंबर 650 रकबा 0.19 हैक्टर भूमि मेंसे रास्ता प्रस्तावित किया गया, परन्तु रास्ते हेतु प्रस्तावित खसरेवार विवरण में नाम खातेदार के कॉलम में वरजू पत्नि मोटा, चेला, घीसु कालिया पि0 मोटा, वरजू पत्नि मोटा जाति सीरवी नि. बेडल का अंकन दिया।

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार....02

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 14/2018 अनवान वनाराम बनाम तहसीलदार बाली अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज के अनुसार बेडल के खसरा नंबर 650 राजकीय सिवायचक दर्ज होने एवं तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत खसरेवार विवरण में नाम खातेदार के कॉलम में राजकीय सिवायचक अंकन न कर खातेदार वरजू पत्नि मोटा, चेला, घी, कालिया पि. मोटा, वरजू पत्नि मोटा जाति सीरवी नि. बेडल अंकन कर देने से न्यायालय द्वारा इस संबध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु पुनः तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की।

तहसीलदार बाली द्वारा संशोधित रिपोर्ट जरिये पत्रांकः राजस्व/2019/1015 दिनांक 25.06.2019 से स्थिति स्पष्ट करते हुये बताया कि इस कार्यालय मे विचाराधीन प्रकरण संख्या 14/2018 वनाराम बनाम राजस्थान सरकार मे अन्तर्गत धारा 251ए में आदेश दनांक 11.06.2019 मे वर्णित निर्देशानुसार ग्राम बेडल के खसरा नंबर 650 रकबा 0.19 हैक्टर मे से 160 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई। कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2019/364 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम संख्या 2 मे प्रस्तावित रास्ते की भूमि के खसरा नंबर 650 के खातेदार मे सेवन से श्रीमति वरजू पत्नि मोटा, चेला, घीसू, कालिया, पि. मोटा, वरजू पत्नि मोटा जाति सीरवी नि. बेडल अंकित कर दिया गया जबकि खसरा नंबर 650 रकबा 0.19 हैक्टर किस्म बा.दो. राजस्व रेकर्ड मे राजकीय सिवाय चक काबिल काश्त पुरानी पडत दर्ज है। कम्प्यूटर मे कॉपी पेस्ट होने से खातेदार के कॉलम में सहवन से श्रीमति वरजू पत्नि मोटा वगैरा गलत अंकन हो गया। अतः आवेदक को मांग अनुरूप ग्राम बेडल के खसरा नंबर 650 मे से ही रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है।

यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भू–भाग खसरेवार विवरण निम्नानूसार पेश किया :–

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	650	0.19	बारानी दोयम	40 X 4 = 160 व.मी.	राजकीय सिवाय चक काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत

अतः संशोधित रिपोर्ट पेश कर प्रार्थी को मांग अनुसार खसरा नंबर 650 मे से रास्ता दिया जाना उचित है। साथ ही रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि के पास बांध की माईनर नहर निकल रही है। जो करीब 10 फीट चौडी है। अतः 10 फीट की जगह छोडकर प्रस्तावित रास्ता की भूमि दिया जाना उचित बताया। प्रस्तावित भूमि मे से आगे सरकारी रास्ता खसरा नंबर 653 से मिलना एवं आगे रास्ता प्रार्थी की खातेदारी के बेरा के खसरा नंबर 654 तक जाना बताया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया व वकील प्रार्थी श्री नेकाराम चौधरी की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी बेरा खसरा नंबर 654 की भूमि से जुडता हुआ खसरा नंबर 653 में गै.मु. रास्ता राजकीय सिवायचक प्रार्थी के आवागमन हेतु स्थित है, परन्तु उक्त रास्ता रेकर्ड में खसरा नंबर 654 तक ही होने से प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता को आगे बढाते हुये खसरा नंबर 654 जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है, मेंरो रास्ता उपलब्ध कराते हुये मुख्य मार्ग खसरा नंबर 649 तक मिलाने की मांग की है। इस प्रकार प्रस्तुत नजरी नक्शा के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रार्थी को रास्ते की तात्कालीन/अत्यन्त आवश्यकता होने से खसरा नंबर 650 की भूमि मे से रास्ता दिया जाना उचित होगा।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार---3

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 14/2018 अनवान वनाराम बनाम तहसीलदार बाली
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक : प.3(52)राज–02.12.4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा बेडल के खसरा नंबर 654 मे आवागमन हेतु मौजा बेडल के ख.न. 650 रकबा 0.19 हैक्टर किस्म बारानी दोयम राजकीय सिवाय चक भूमि मे से 40 X 4 = 160 वर्गमीटर रास्ता नियमो के नियम 70(i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि के पास माईनर नहर निकलने से 10 फीट जगह छोडकर रास्ता उपलब्ध कराया जावे।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे।

प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

नाम ग्राम	ख.न.	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर)	किस्म	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल	डीएलसी दर 25800 रूपये प्रति बीघा की दर से प्रति व.मी.	वसूल देय प्रतिकर राशि(डीएलसी दर की दुगुनी)
बेडल	650	0.19	बारानी दोयम	40 X 4 = 160 व.मी.	16.12	**5158/–**

प्रस्तावित रास्ता के अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **5158/– (अक्षरे पांच हजार एक सौ अठावन रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राज्य कोष मे जमा कराये जावेंगे। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय गे.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

उपरोक्तानुसार पालना की सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत की जावेंगी। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
उप - खण्ड अधिकारी, बाली
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 30-7-2019

पत्रांक : कोर्ट/2019/ 952-956

प्रतिलिपि पालनार्थ :–

1. तहसीलदार बाली
2. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
3. भू.अ.निरीक्षक खुडाला
4. पटवारी हल्का बेडल
5. प्रार्थी खातेदार श्री वनाराम गोद पुत्र वनाराम गोद पुत्र लखीयाजी जाति सिरवी (जणवा) निवासी बेडल तहसील बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बाली
उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner